संख्या: 435 /79-6-10

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांक: 26 अप्रैल, 2010

विषय: प्रदेश में मध्यान्ह् भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को एन0जी0ओ0 द्वारा केन्द्रीयकृत किचेन के माध्यम से पका-पकाया मध्यान्ह् भोजन उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में एन0जी0ओ0 हेतु रसोईयों की संख्या के मानक के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

मध्यान्ह् भोजन योजना के अन्तर्गत आच्छादित राजकीय/स्थानीय निकाय/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, तहतानिया स्तर के मकतब/मदरसो, ई0सी0जी0आई0 केन्द्रों में भोजन पकाने हेतु स्थानीय स्तर पर रसोईये की व्यवस्था ग्राम प्रधान, वार्ड सभासद एवं स्वयं सहायता समूह आदि द्वारा की जाती है। शासनादेश संख्या-3026/79-6-2009 दिनॉक-26.12.09 जारी होने के पूर्व इन रसोईयों को परिवर्तन लागत के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमन्य धनराशि में से ही मानदेय का भुगतान किया जाता था। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या-एफ0एन0ओ01-1/2009-डेस्क(एम0डी0एम0) दिनॉक-24.11.09 के कम में निर्गत शासनादेश संख्या-3026/79-6-2009 दिनॉक-26-12.09द्वारा उक्त निर्धारित व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए रसोईये के लिए रू0 1000/- की दर से पृथक से मानदेय दिये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। रसोईये पर होने वाले व्यय का 75 प्रतिशत वहन भारत सरकार द्वारा तथा शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

2. प्रदेश में मध्यान्ह् भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को एन0जी0ओ0 द्वारा केन्द्रीयकृत किचेन के माध्यम से पका-पकाया मध्यान्ह् भोजन उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में एन0जी0ओ0 हेतु रसोईयों की संख्या का मानक निम्नवत् निर्धारित किया जाता है-

कम संख्या	**विद्यालय में नामांकितछात्रों की संख्या**	**अनुमन्य रसोईये की संख्या**
1	25 तक	1
2	26-100	2
3	101-200	3
4	201-300	4
5	301 से 1000	5
6	1001-1500	6
7	1501-2000	7
8	2001-2500	8
9	2501-3000	9
10	3000 से अधिक पर प्रत्येक हजार पर एक अतिरिक्त रसोईया	

3. रसोईया सह सहयोगी के मानदेय की धनराशि उपर्युक्त मानकों के आधार पर एन0जी0ओ0 के द्वारा इस संबंध में दिये गये प्रमाणक के आधार पर प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

....

4. जिला स्तर पर एन0जी0ओ0 के चयन के समय ही एन0जी0ओ0 को आवंटित किए जाने वाले विद्यालय में नामांकित छात्र संख्या के आधार पर उपरोक्त मानक के अनुसार संबंधित एन0जी0ओ0 हेतु रसोईयों की संख्या का आगणन कर उसे लिखित रूप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से संबंधित एन0जी0ओ0 को संसूचित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. एन0जी0ओ0 द्वारा रसोईया सह सहयोगी को मानदेय के रूप में किये गये भुगतान का लेखा-जोखा पृथक से रखा जायेगा तथा आवश्यकतानुसार सम्प्रेषण आदि की स्थिति में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
सचिव

पृ0सं0 व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बे0), उ0प्र0।
4– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव।

21/5/10